


06/01/26

पत्रावली पक्षे विधिये प्रेषा हुई। उक्त फा उप. वर परिमाण
कारिज डिमा जाता है। विस्तृत विधिये अलग से क्रिआता
जानर शादिल डिमा गमा। डिफ्री जरी लो पत्रावली नंबर से
क्य लो विधिये सुगमा गमा।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

G CMS
2013/00/05



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्या:- 234 / 2013
जीसीएमएस- 2013 / 00105

ता.दायरा:- 03.10.2013

-: अनवान :-

1. अमिना } पुत्रीयान याकुब कौम मुसलमान साकिनान उदयपुर गोदारा
2. रूकेया } हाल वार्ड न. 1 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राज.।
3. सबाबी पत्नी याकूब कौम मुसलमान साकिन उदयपुर गोदारान जरिये सरक्षक व
वाद मित्र अमीना पुत्र याकुब जाति मुसलमान साकिन वार्ड न. 1 सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीगण



बनाम

1. शाबा बी अलावल जाति मुसलमान निवासी चक 3 एम सी उदयपुर तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जाकिर हुसैन } पुत्रगण सरीफ जाति निवासी मुसलमान निवासीयान
3. अकबर हुसैन } चक 3 एम.सी तहसील सूरतगढ़।
4. मोहम्मदयार } पुत्रगण अलावल जाति मुसलमान निवासीयान चक 3 एम.सी.
5. अहमदयार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. मुस्ताक खां }
7. मुमताज खां }
8. नबीबक्श पुत्र अलाबक्श(फौत) जरिये वारिस :-
8/1. मोहम्मद बक्श पुत्र } नबीबक्श अकवाम मुसलमान निवासीयान
8/2. सुखीया बी पुत्री } उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
8/3. कलीमा बी पुत्री } जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8/4. अजमत बी पुत्री }
8/5. पनावा बी पुत्री }
8/6. अकी बी पुत्री }
8/7. मुफा बी पुत्री }
8/9. जनत बी पुत्री }
8/10. सलीमा बी पुत्री }
8/11. सफा बी पुत्री नबीबक्स फौत जरिये वारिस :-
8/11/1. खुशीया बी } पुत्रीयां सफा बी पुत्री नबीबक्श जाति मुसलमान
8/11/2. जीना बी } साकिनान उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़।
8/12. रजा बी पुत्री नबीबक्स(फौत) जरिये वारिस :-
8/12/1. अहमदयार पुत्र रजाबी पुत्री नबीबक्स जाति मुसलमान साकिन
उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)**

9. नवाब बेगम पत्नी सरीफ फौत तर्क आदेश दिनांक 17.09.2015
10. बख्तावर बी } पुत्रीयान सरीफ अकवाम मुसलमान साकिकान चक
 11. शकरा बी } 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 12. नाजरा बी }
 13. फकरा बी }
14. अलावलदीन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान साकिन चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
15. कृष्ण पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
17. उप-पंजीयक महोदय सूरतगढ़।
18. पूर्णसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति रायसिख साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ़।
19. अमरो बाई पत्नी सुचासिंह(फौत) जरिये वारिस :-
 19/1. स्वर्णकौर पत्नी भगवानसिंह पुत्री अमरोबाई
 19/2. स्वर्णसिंह पुत्र } अमरोबाई पत्नी सुच्चासिंह अकवाम रायसिख
 19/3. भजनसिंह पुत्र } साकिनान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला
 19/4. जर्गीरकौर पुत्री } श्रीगंगानगर।
 19/5. जगजीतसिंह पुत्र }
 19/6. हरबंशसिंह पुत्र }



...प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रति. 1 ता 7
3. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता 8/1
4. श्री राकेश कुमार मनचंदा, अधिवक्ता प्रति. 18 से 19/6
5. श्री अजय अरोड़ा, अधिवक्ता प्रति. 8/2 से 8/12/1

- :: निर्णय ::-

दिनांक:- 06.01.2026

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण के दादा/ससुर अलाबक्श पुत्र इलाही बक्स के नाम से रोही उदयपुरबास उदासर के खसरा न. 1 में 14.12 बीघा व खसरा नम्बर 8/1 में 51.18 बीघा रकबा आराजी काश्त पूर्व एवं पश्चात् का व कुछ रकबा रमाल पेच का जो बाद में खातेदार होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था। वादीगण के दादा/ससुर अलाबक्श का उक्त रकबा चकबंदी में आने पर चक 3 एम.सी. के पत्थर नम्बर 94/7, 94/8, 74/64, 74/56 व 75/57 के 50 बीघा व चक 16.400 आर.डी. वर्तमान चक 4 के एस.एल के पत्थर नम्बर 95/48 के किला नम्बर 6, 7, 8, 13 ता 15, 17, 18, 23 व 24 का 10 बीघा व पुराना चक 21.800 आरडी व वर्तमान 4 के एस.एल. के पत्थर नम्बर 96/41 के किला नम्बर 3 ता 5/3 बीघा कुल 13 बीघा व पत्थर नम्बर 94/8 के


 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (राज.)

किला नम्बर 15, 16, 23, 24,25/5 बीघा खातेदारी कुल 68 बीघा पैमूद हुआ। वादीगण के दादा अलाबक्श के फौत होने के पश्चात् वादीगण के पिता/पति अलाबक्श सहित सभी पुत्रगण नबीबक्श, याकुब, शरीफ, अलावर पिसरान अलाबक्श को ब.हि.ब. यानि चारो को 1/4, 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ। एक पुत्र शरीफ के फौत हो जाने के बाद उसके वारिसों के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज हो चुका हैं। तीनों खातों की जमाबंदियों के नकले संलग्न वाद पत्र हैं इससे साबित है कि पूर्व में यह रकबा वादीगण के पति/पिता याकुब को विरासत में प्राप्त हुआ हैं इसलिए यह रकबा पैतृक हैं। वादीगण के पति/पिता परिवार के मुखिया होने से ही वादीगण के परिवार को आवंटित होने से रकबा उनके नाम से हैं। वादीगण के परिवार को रोही उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 120/3 में 20 बीघा रकबा टी.सी. से पुख्ता आवंटन होकर खातेदारी रिकार्ड हुआ जिस पर वादीगण का कब्जा हैं। वादीगण 1-2 याकूब की पुत्रियां हैं। वादीया न. 1 पैरों से विकलांग हैं। वादीया न. 3 याकूब की पत्नी हैं जो गूंगी बहरी हैं व प्रतिवादी न. 1 ता 14 सभी परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने वादीगण के पिता/पति के भोलेपन का लाभ उठाकर अलग अलग समय में भूमि का दान पत्र व बिना प्रतिफल दिये भूमि का बैयनामें करवा लिये जो वादी के हितो पर बेअसर हैं। वादीगण के पिता/पति ने कभी दान पत्र या बैयनामें नहीं करवाये। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता/पति से चक 3 एम.सी. के 12.523 हैक्टेयर रकबा के 1/4 हिस्सा में से प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 29.12.06 को 2.277 हैक्टेयर व चक 16.400 आर.डी. वर्तमान चक 4 केएसएल के पत्थर नम्बर 95/48 के 2.530 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा में 0.380 हैक्टेयर बिना प्रतिफल दिये प्रतिवादी न. 1 ने तीन लाख रूपयों में बैयनामा बताया हैं। यह भूमि पैतृक हैं। इसी प्रकार दिनांक 24.07.2007 को चक 3 एम.सी. के 0.426 हैक्टेयर व इसी चक की पत्थर नम्बर 94/8 की 1.265 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा व चक 4 के एस एल के पत्थर नम्बर 96/41 के 0.759 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा व इसी चक के पत्थर नम्बर 95/48 के 2.530 हैक्टेयर में से 0.253 हैक्टेयर कुल 1.185 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी न. 8 ने दान पत्र करवा लिया। इसी प्रकार रोही उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 120/3 की 20 बीघा भूमि से प्रतिवादी न. 4 ता 7 ने दिनांक 28.07.2009 को तथाकथित बैयनामा में डेढ़ लाख रूपये प्रतिफल दिखाकर बैयनामा करवा लिया जबकि यह रकबा परिवार को आवंटित रकबा हैं इसका इन्तकाल 14.05.2009 को खातेदारी का दर्ज हुआ था। इसी प्रकार प्रतिवादी न. 2 व 3 ने दिनांक 07.08.2012 को चक 3 एम.सी. के 12.523 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा में से 0.443 हैक्टेयर रकबा एक लाख बीस हजार में बैयनामा वादीगण के पिता से अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार बैयनामा दिनांक 29.12.2006 व तथाकथित दान पत्र दिनांक 24.07.2009 को करवा लिये परन्तु कब्जा वादीगण का चला आ रहा हैं। वादीगण के परिवार के लोगो ने ही वादीगण के पिता/पति से तथाकथित तरीके से बैयनामे व दान पत्र करवाया हैं। रूपयों का लेन देन बैयनामों में नहीं हुआ हैं। यहां भूमि का बंटवारा हिन्दुओं की तरह ही होता हैं। चक 3 एम.सी. व 4 के.एस.एल. का रकबा पैतृक होने से वादीगण 1-2 का अपने पिता के जीवनकाल 3 में ही उनकी भूमि में हक बनता था। जो 1/4, 1/4 हिस्सा तक हक बनता हैं। वादीगण का परिवार जाति से मुसलमान हैं पर जमीन का बंटवारा हिन्दुओं की तरह करते हैं। सूरतगढ़ तहसील के लोग मुसलमान हैं परन्तु वो बीकानेर क्षेत्र के मुसलमान होने से भूमि का बंटवारा व इन्तकाल हिन्दुओं की तरह होता है। इसलिए वादी का अपने पिता की भूमि में 1/4.



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1/4 हिस्सा बनता है। वादीगण के पिता/पति अब फौत हो गये हैं। दान पत्र व भूमि बेचान में कब्जा का हस्तान्तरण लिखा हुआ होता है परन्तु कब्जा का हस्तान्तरण नहीं हुआ है। प्रतिवादी न. 2, 3, 8, 9 ता 13 व 14 ने एक बीघा भूमि दिनांक 31.01.2004 को ही बेचान कर दिया गया था। यह बैयनामा भी शुरू से ही शून्य है व वादीगण के हितो पर बेअसर है। वादीगण के जीवनयापन के लिए रकबा शेष बचा ही नहीं है। वादीगण को दिनांक 30.08.2013 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता/पति का रकबा अपने नाम बैयनामों व दान पत्र से करवा लिया है इस रकबा की घोषणा अपने नाम से करवाने के वादीगण हकदार है व खाता विभाजन करवाने के हकदार है। वादीगण ने घोषणा चाही है कि चक 3 एम. सी. की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता संख्या 40 की 12.523 हैक्टेयर व प्रतिवादी न. 15 को बैय की गई 0.2530 हैक्टेयर रकबा को छोड़कर शेष 12.270 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा व इसी चक की जमाबंदी के खाता संख्या 41/40 के 1.265 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा व चक 4 केएसएल की जमाबंदी संवत 2063 के खाता संख्या 37 के 3.289 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा वादीगण के पिता/पति को विरासतन प्राप्त रकबा पैतृक होने से वादीगण पिता के जीवनकाल में 1/4 हिस्सा में से 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व रोही उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 120/3 की 20 बीघा रकबा वादीगण के पिता/पति को आंवटन होने से उसमें वादीगण को 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व बैयनामे दिनांक 29.12.2006 व 24.07.2007 व दिनांक 07.08.2012 करवाये गये बैयनामे व दान पत्र शुरू से शून्य होने से वादीगण के हको तक निष्प्रभावी होने से वाद पत्र बहक वादीगण डिक्री किया जावे।



वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत आकर अपने अभिभाषक के माध्यम से वाद पत्र को गैस्कानूनी व नियमों व मुस्लिम विधि के विपरीत प्रस्तुत किया हुआ होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 6 ने अपने जवाबदावा दिनांक 10.02.2016 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 की तरफ से प्रस्तुत जवाबदावा मय एतराज व मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये प्रतिवादी संख्या 8/1 की तरफ से भी दिनांक 19.09.2022 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 15.09.2022 की तारीख पेशी पर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीया संख्या 9 का स्वर्गवास होने पर उसका नाम तर्क किया जाकर उनके वारिसान 2, 3, 10 ता 13 पक्षकार वाद पत्र में पहले से ही होने पर वाद पत्र में आगे की कार्यवाही अमल लायी गई। इसी दौरान पूर्णसिंह व अमरोबाई ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरवाद भूमि के संयुक्त खाते में वो भी रिकार्डेड खातेदार हैं व उन्हें भी वाद पत्र में पक्षकार बनाये जावे। उभय पक्ष को सुन कर अदालत द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2019 को पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई व अमरोबाई के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिसों को रिकार्ड पर लेते हुए पूर्णसिंह को प्रतिवादी न. 18 व अमरोबाई के वारिसों को प्रतिवादी न. 19/1 ता 19/6 पर पक्षकार बनाये जाने का संसोधित शीर्षक वाद पत्र प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 25.03.2021 को अभिभाषक श्री अजय कुमार अरोड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक वाद पत्र संख्या 207/13 ता.दायरा दिनांक 29.8.2013 अनवान नबीबक्श बनाम सबाबी इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सुस्तगढ़ (राज.)

बाबत विचाराधीन हैं उसमें वो पक्षकार हैं इसलिए उनकी भी इस वाद पत्र में हाजरी दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 6 तथा 8/1 व 1, 2, 4, 5, 7 ने अपने अपने जवाबदावा में वाद पत्र को नकारते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में उपमद क,ख,ग में स्वयं माना है कि जैरवाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार स्वयं याकूब खां ने अपने नाम दर्ज भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2006 बहक शबाबी रकबा चक 3 एम.सी. के दोनो चकों की 2.657 हैक्टेयर को तीन लाख रूपयों में प्रतिवादीया न. 1 को बेचान करके बैयनामा उप-पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में रोबरू गवाहान पूरा प्रतिफल प्राप्त करके तस्दीक करवा दिया गया था व बैय की जाने वाली भूमि का कब्जा भी मौका पर खरीददार को सौंप दिया गया था व बैयनामा में यह दर्ज करवा दिया कि जो अधिकार आज तक इस भूमि में बेचानकर्ता को हैं वो तमाम हक अब खरीददार के होंगे व इस बैयनामा के आधार पर प्रतिवादीया ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। खरीद से कब्जा काशत प्रतिवादीया का चला आ रहा हैं उनका यह भी ऐतराज हैं कि मुस्लिम विधि में किसी खातेदार के जीवनकाल में उसके पुत्रों पुत्रीयों को कोई हक प्राप्त नहीं होता, मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि संबंधित कोई प्रावधान नहीं होने से वाद पत्र पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जावे। अपने जवाबदावा में यह भी अंकित किया गया हैं कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक वाद पत्र इसी भूमि बाबत इन्हीं धाराओं में इसी अदालत में वर्ष 1995 में प्रस्तुत किया गया था जो क्र.सं. 69/1995 पर दर्ज किया गया था जिसे वादीगण ने तारीख 20.09.2000 को विद्वा कर लिया था व अब मौजूदा वाद पत्र में जैरवाद भूमि के बेचान व दान पत्र का ज्ञान दिनांक 30.8.2013 को होना बताया गया हैं जो स्पष्ट रूप से गलत तथ्य दर्ज करवाये हैं उस वाद पत्र में वादीगण ने लिख कर दिया था कि जैरवाद भूमि में वो कोई हक व हिस्सा नहीं बनता हैं व लेना नहीं चाहती हैं व इसी प्रकार से वादीगण ने अपने पिता/पति के एक विरुद्ध एक वाद पत्र भरण पोषण हेतु सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अदालत एसीजेएम साहब सूरतगढ़ की अदालत में प्रस्तुत किया गया था जो मु.न. 235/99 पर दर्ज किया गया था उसमें भी वादीगण ने अपने पिता/पति याकूब पुत्र अलाबक्श से 1,70,000/- रूपये एक लाख सतर हजार रूपये आजीवन भरण पोषण के प्राप्त करके राजीनामा कर लिया गया था इसलिए मौजूदा वाद पत्र में वादीगण ने अदालत में वाद पत्र में झुठे तथ्य दर्ज करवा कर हम प्रतिवादीगण को परेशान किया हैं व अदालत का भी समय लिया हैं जो गलत होने से वाद पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज किया जावे।

इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में दान पत्र दिनांक 24.07.2007 को प्रतिवादी न. 8 के पक्ष में करवाया गया हैं वह संयुक्त खाता संख्या 37 की चक 3 एम. सी. व चक 21.800 आरडी की व चक 16.400 आर.डी. का करवाया गया था व दान पत्र के दिन से ही भूमि का कब्जा काशत दानग्रहिता को दे दिया था व इसी प्रकार जैरवाद भूमि के बैयनामें दिनांक 28.07.2009 व दिनांक 07.08.2012 व तारीख 31.01.2004 को विधिवत रूप से करवाये जाकर भूमि का पूरा प्रतिफल प्राप्त करके भूमि का कब्जा खरीददार को सौंप दिया गया था। विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवाये गये बैयनामें आज भी वैध हैं किसी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नहीं करवाये गये हैं। इसलिए वादीगण का वाद पत्र नियमों के विपरीत व मुस्लिम विधि के भी विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।



BR
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जवाबदावा आने पर वाद पत्र में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादीगण के पिता/पति याकुब पुत्र अलाबक्स के नाम की चक 3 एम.सी. की पैतृक होने से उनके जीवनकाल में ही वादीगण का 1/4 हिस्सा व हक बनता है?वादी
2. आया रोही उदयपुर मुसलमान की जैरवाद खसरा संख्या 120/3 की 20 बीघा परिवार को टी.सी. से खातेदारी रकबा होने व पैतृक भूमि की आय से अर्जित किया हुआ होने से वादीगण का भी हक बनता है?वादी
3. आया जैरवाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये दान पत्र वादीगण के हको पर निष्प्रभावी होने से प्रतिवादी संख्या 2-3 के पक्ष में करवाये गये बैयनामे भी वादीगण के हको तक निष्प्रभावी है?वादी
4. जैरवाद भूमि मुसलमान जाति की होने से हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू नहीं होने से व मुसलमानों में पैतृक भूमि का कानून नहीं होने से वाद पत्र नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं ?प्रतिवादी
5. आया जैरवाद भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र व बाद में रजिस्टर्ड बैयनामों से प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने से वाद पत्र सीविल किस्म का होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं हैं?प्रतिवादी
6. आया जैरवाद भूमि का पूर्व में वाद संख्या 69/95 का निर्णय होने से वाद पत्र रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से ग्रसित होने से खारिज योग्य हैं?प्रतिवादी
7. वाद पत्र में वाद कारण ही पैदा नहीं होने से वाद खारिज होन योग्य हैं ?
8. अन्य अनुतोष ?



वाद पत्र में तनकीयात कायम होने पर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई। वादीगण द्वारा दिनांक 13.03.2024 को बतौर साक्ष्य वादीगण ने वादीया अमीना, रूकेया के बतौर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने उपरान्त साक्ष्यवादी बंद किये जाकर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.04.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 अकबर व प्रतिवादी न. 8/1 मो.बक्श व प्रतिवादी संख्या 6 मुस्ताक के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर करवाये गये व योग्य अधिवक्त वादी द्वारा जिरह किये जाने के बाद साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को बहस अंतिम सुने जाने हेतु सुनिश्चित की गई।

उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण के योग्य अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि वादीगण के पिता/पति को विरासतन आने से पैतृक हैं व कुछ भूमि आवंटन होकर खातेदारी होने से सारी भूमि में उनके पिता/पति के जीवनकाल में ही 1/4, 1/4 हक व हिस्सा होने से उनके द्वारा सन् 2004 से 2012 तक किये गये बैयनामों को वादीगण के हको तक निष्प्रभावी होने से उन्हें अपने पित/पति के नाम की भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जावे।

प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ताओं ने भी अपने जवाबदावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस कर निवेदन किया कि वादीगण जाति से मुसलमान हैं व मुस्लिम विधि


उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)

में पैतृक भूमि को पिता के जीवनकाल में हक घोषित करवाने का कोई प्रावधान नहीं है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी ऐसा कोई हक प्राप्त का प्रावधान मुसलमान जाति को नहीं है व उनकी यह भी बहस है कि वादीगण अपने बयानों की जिरह में स्वीकार करते हैं कि वो जाति से मुसलमान हैं व मुस्लिम रिति रिवाज को ही मानते हैं व वादीगण द्वारा पूर्व में भी इसी भूमि बाबत वाद पत्र किया गया था जो विद्वा कर लिया गया था। इसलिए वाद पत्र में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं होने व वाद कारण पैदा नहीं होने से वाद निरस्त किया जावे। वाद पत्र सीविल किस्म का होने से इस अदालत से वादीगण हक प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बैयनामें पूरे स्टाम्प व पूरा प्रतिफल प्राप्त करके करवाये गये थे व भूमि का कब्जा काश्त वर्षों से प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। बैयनामो व दान पत्र को किसी वैध न्यायालय से आज तक निरस्त नहीं करवाया है। इसलिए वाद पत्र वादीगण निरस्त किये जाने योग्य हैं।



उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो व साक्ष्यो का अध्ययन किया। वाद पत्र का तनकीवार निर्णय किया जाना कानूनसम्मत होने से निर्णय तनकीवार किया जा रहा है :-

तनकी न. 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण का होने से उनका यह दायित्व बनता है कि वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल में ही उनके नाम की पैतृक भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाते। वादी संख्या 1 व 2 ने अपने साक्ष्य शपथपत्रों में अपने पिता के नाम भूमि का विवरण शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 ता 4 में दिया है व इनमें दर्ज भूमि को आगे प्रतिवादीगण को बैय करने की तारीखे व रकबा का विवरण अपने शपथ पत्रों के पैरा संख्या 5 ता 7 में दिया गया है। वादीगण के पिता/पति ने अपने नाम की सारी भूमि अपने जीवनकाल में बेचान व दान कर दी थी इस बाबत वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण ने बिना प्रतिफल दिये जैरवाद भूमि अपने नाम करवाली व बेचान करने का हक भी नहीं था। चूंकि पिता के जीवनकाल में ही वादीगण का हक व हिस्सा था। इसका आधार वादीगण ने गंगानगर में मुसलमानों द्वारा हिन्दू रिवाज के अनुसार सारी कार्यवाही होना बताया। कानूनी कोई प्रावधान नहीं बताया, प्रतिवादीगण के योग्य अभिभाषक ने मुस्लिम विधि के अध्याय 18 के नियम 216(2) में प्रावधान है कि मुस्लिम विधि के तहत मुसलमान जाति का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की सम्पदा में उस स्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता जबकि वह व्यक्ति जीवित है व मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार या पैतृक सम्पति मुस्लिम विधि में महत्व नहीं रखती। राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में भी प्रावधान है कि " एक मुस्लिम काश्तकार के जीवनकाल में कोई भी व्यक्ति उसके होने वाले उत्तराधिकार के रूप में कोई दावा नहीं ला सकता।" वादीगण स्वयं अपने साक्ष्य के जिरह में स्वीकारते हैं कि वो जाति से मुसलमान हैं, मुस्लिम रिति रिवाज व धर्म को ही मानते हैं। हिन्दू धर्म को नहीं मानते। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य बयान वादीगण व प्रतिवादीगण व योग्य अभिभाषक उभय पक्षो की बहस सुनने व मनन करने व मुस्लिम विधि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि या अन्य भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके पुत्रों पुत्रीयों का कोई हक व हिस्सा नहीं होने से इस तनकी को सिद्ध करने में वादीगण असफल रहने से इस तनकी का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी न. 2 पूरी तरह से तनकी न.1 के समान ही हैं जब खातेदारी पैतृक भूमि में ही वादीगण हक व हिस्सा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं तो तनकी न. 2 में वर्णित रकबा में ही हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तो इस तनकी में तो वर्णित रकबा टी.सी. से पुख्ता आवंटन होकर वादीगण के पिता/पति का स्वअर्जित रकबा होने से वो बैयनामा व दान करने के लिए सक्षम होने से भी वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहने पर इस तनकी का निर्णय भी विरुद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 3 पूरी तरह से तनकी न. 1- 2 पर ही आधारित हैं। तनकी न. 1 -2 में विस्तृत विवेचन किया गया है कि मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि का कोई प्रावधान नहीं है व मुस्लिम व्यक्ति के जीवनकाल में उसके पुत्र व पुत्री का कोई हक नहीं होने से उसके द्वारा बेचान या दान की गई भूमि में वादीगण का कोई हक व हिस्सा कानूनी रूप से निहित ही नहीं होने से वादीगण के पति/पिता द्वारा करवाये गये बैयनामों व दान पत्र को निष्प्रभावी घोषित किया जाना कानूनसम्मत नहीं होने से भी यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।



तनकी न. 4 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण ने मुस्लिम विधि में भूमि संबंधित प्रावधान जिसमें पैतृक भूमि का व पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की सम्पत्ति में हक होने का प्रावधान नहीं है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र या पुत्री का हक हो, बल्कि यह प्रावधान है कि मुस्लिम विधि के अनुसार काश्तकारी अधिनियम में भी एक मुसलमान अपने पिता के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा पाने के हकदार नहीं होने से इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 5 अदालत में वाद पत्र सुनवायी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं चूंकि जैरवाद भूमि वादीगण के पिता/पति के नाम से दर्ज रिकार्ड होने से उस भूमि के वो खातेदार काश्तकार होने के नाते अपने नाम की खातेदारी भूमि को काश्त करने व बैय करने व दान करने का पूरा पूरा अधिकार था व पैतृक भूमि संबंधित अधिकार मुस्लिम विधि में नहीं होने से अन्य किसी प्रकार से हको की घोषणा वादीगण करवाना चाहे तो सीविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं व वादीया ने अपने बयानों की जिरह में यह माना है कि सिविल न्यायालय में वाद पत्र चल रहा है। तनकी न. 1, 2, 3 के आधार पर वादीगण जैरवाद भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के पात्र नहीं होने से इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 6 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर होने से पूर्व में इसी अदालत द्वारा वाद पत्र 69/95 इन्ही पक्षकारों के मध्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था परन्तु उस वाद पत्र को दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण द्वारा वाद पत्र विद्रा कर लिया गया था। वाद पत्र का निर्णय गुण व दोष के आधार पर नहीं किये जाने से इस रेसज्युडिकेटा के प्रावधान तो लागू नहीं होते परन्तु इस वाद पत्र में वाद कारण वर्ष 2013 को ज्ञात होना बताया गया है जो तथ्य अदालत से छिपाया गया है परन्तु उस वाद पत्र का इस वाद पत्र के निर्णय के गुण व दोष पर कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होने से इस तनकी को विरुद्ध प्रतिवादी तय किया जाता है।

तनकी न. 7 में वाद कारण पैदा नहीं होने की बात साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। मौजूदा वाद पत्र कानूनी व तथ्यो संबंधित वाद पत्र हैं जिसमें कानूनी


प्रावधानों के अनुसार ही यह तय किया जाना होता है कि वाद कारण हैं या नहीं। मुस्लिम विधि में स्पष्ट प्रावधान हैं कि एक पुत्र या पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नहीं होने से वाद पत्र में वादकारण पैदा नहीं होने से इस तनकी का निर्णय विरुद्ध वादीगण तय किया जाता है। अन्य अनुतोष में वादीगण व प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अलग से किसी अनुतोष का निर्णय किया जाना विधि सम्मत नहीं है।



पत्रावली में वाद पत्र व जवाबदावा व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों का सम्मान पूर्व अध्ययन व मनन करने व तनकी न. 1 ता 3 का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किये जाने व तनकी न. 4-5 बहक प्रतिवादीगण किये जाने से वादीगण का वाद पत्र कानूनी प्रावधान व नियमों के विपरीत होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026... को सुनाया गया।


(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपमुख्य अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

-: अनवान :-

1. अमिना } पुत्रीयान याकूब कौम मुसलमान साकिनान उदयपुर गोदारा
2. रूकेया } हाल वार्ड न. 1 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राज.।
3. सबाबी पत्नी याकूब कौम मुसलमान साकिन उदयपुर गोदारान जरिये सरक्षक व
वाद मित्र अमीना पुत्र याकूब जाति मुसलमान साकिन वार्ड न. 1 सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीगण

बनाम



1. शाबा बी अलावल जाति मुसलमान निवासी चक 3 एम सी उदयपुर तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जाकिर हुसैन } पुत्रगण सरीफ जाति निवासी मुसलमान निवासीयान
3. अकबर हुसैन } चक 3 एम.सी तहसील सूरतगढ़।
4. मोहम्मदयार } पुत्रगण अलावल जाति मुसलमान निवासीयान चक 3 एम.सी.
5. अहमदयार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. मुस्ताक खां }
7. मुमताज खां }
8. नबीबक्श पुत्र अलाबक्श(फौत) जरिये वारिस :-
8/1. मोहम्मद बक्श पुत्र } नबीबक्श अकवाम मुसलमान निवासीयान
8/2. सुखीया बी पुत्री } उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
8/3. कलीमा बी पुत्री } जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8/4. अजमत बी पुत्री }
8/5. पनावा बी पुत्री }
8/6. अकी बी पुत्री }
8/7. मुफा बी पुत्री }
8/9. जनत बी पुत्री }
8/10. सलीमा बी पुत्री }
8/11 सफा बी पुत्री नबीबक्स फौत जरिये वारिस :-
8/11/1. खुशीया बी } पुत्रीयां सफा बी पुत्री नबीबक्श जाति मुसलमान
8/11/2. जीना बी } साकिनान उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
8/12. रजा बी पुत्री नबीबक्स(फौत) जरिये वारिस :-
8/12/1. अहमदयार पुत्र रजाबी पुत्री नबीबक्स जाति मुसलमान साकिन
उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)**

9. नवाब बेगम पत्नी सरीफ फौत तर्क आदेश दिनांक 17.09.2015
10. बख्तावर बी } पुत्रीयान सरीफ अकवाम मुसलमान साकिकान चक
 11. शकरा बी } 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 12. नाजरा बी }
 13. फकरा बी }
14. अलावलदीन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान साकिन चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
15. कृष्ण पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
17. उप-पंजीयक महोदय सूरतगढ़।
18. पूर्णसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति रायसिख साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ़।
19. अमरो बाई पत्नी सुचासिंह(फौत) जरिये वारिस :-
 19/1. स्वर्णकौर पत्नी भगवानसिंह पुत्री अमरोबाई
 19/2. स्वर्णसिंह पुत्र } अमरोबाई पत्नी सुच्चासिंह अकवाम रायसिख
 19/3. भजनसिंह पुत्र } साकिनान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला
 19/4. जर्गीरकौर पुत्री } श्रीगंगानगर।
 19/5. जगजीतसिंह पुत्र }
 19/6. हरबंशसिंह पुत्र }



...प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 234 वर्ष 2013 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 श्री भागीरथ बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या 8/1 श्री विनोद कुमार बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या 18 से 19/6 श्री राकेश कुमार मनचंदा, प्रतिवादी संख्या 8/2 से 8/12/1 श्री अजय अरोड़ा के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद पत्र वादीगण खारिज किया जाता हैं।

नोज..... × मुबलिंग.....× बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह × फरदो की पालना ×..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ०६.०१.२०२६ को जारी की गई।

81
 (भरत जय प्रकाश मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (राज.)